

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



क्रमांक/परीक्षा/2021/ ९८.


जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

जबलपुर जिले के समस्त विधि महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय के शुल्कों का AFRC से विनिश्चयन नहीं होने के कारण छात्रों की छात्रवृत्तियां नहीं मिल पा रही है जिसके कारण सी.एम. हेल्पलाइन में छात्रों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही हैं।


अतः विधि महाविद्यालयों के प्राचार्य AFRC और छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रिया सात दिवस में पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें अन्यथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग भोपाल को प्रस्तावित की जायेगी।

आदेशानुसार


उपकुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, जबलपुर।
2. सहायक कुलसचिव एवं नोडल अधिकारी (एस.सी./एस.टी. सेल) रा.दु.वि.वि. जबलपुर।


सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर